(ङ) क्या सरकार इन स्कीमों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत सांसदों द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये किसी समय-सीमा का प्रावधान नहीं करते। हालांकि, निर्माण कार्यों को तेजी से सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये जिला कलेक्टर एंव कार्यान्वयन अभिकरण उत्तरदायी हैं।

(ग) से (च) बिहार में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के संबंध में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। हालांकि हाल में बिहार में निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी आई है। राज्य सरकार के प्राधिकारी में तेजी लाने के लिये जिला कलेक्टरों को सामान्य अनुदेश भी जारी किये जा चुके हैं। जब भी किसी खास मामले में विलम्ब को सरकार के ध्यान में लाया जाता है, तो तुरन्त संबंधित जिला कलेक्टर/राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है तथा अपयुक्त अनुदेश जारी किये जाते हैं।

तोल और माप नियमों की समीक्षा

2158. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए तोल और माप नियमों की समीक्षा करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति सहित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कानून के तकनीकी पहलू और कार्यान्वयन मशीनरी प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रगति बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) प्रवर्तन तंत्र, व्यापारी वर्ग और उद्योग द्वारा जनता को माप पद्धति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस अधिनियम को उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा सके?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) से (ग) : सरकार ने बाट तथा माप कानूनों की समय-समय पर निरन्तर आधार पर समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान निम्नलिखित तीन स्थायी समितियां गठित की हैं:—

(i) बाट तथा माप, मानक (पैकेज में रखती वस्तुएं) नियम 1977 के उपबंधों की समीक्षा के लिए स्थायी समिति;

(ii) तोलने तथा मापने के उपकरणों की विशिष्टि तैयार करने से संबंधित स्थायी सलाहकार समिति,

(iii) अंतर्राज्यीय सत्यापन तथा स्टाम्पन नियम, 1987 के बारे में स्थायी परामर्शदात्री समिति।

अपने संहत गठन के कारण ये समितियां सरकार, उपभोक्ता संगठनों, विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उद्योगों को एक अन्तरापृष्ठ (इन्टरफेस) प्रदान करती हैं। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि कानून/नियम प्रौद्योगिकी में प्रगति के अनुरूप हों, बाट तथा माप के तकनीकी विनियमों तथा प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। समिति सिफारिशें करते समय डा० विषय-वस्तु के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप-विज्ञान संगठन (ओ०आई०एम० एल०) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखती है। पैकेज में रखी वस्तुएं नियम से संबंधित स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर शीतल पेय तथा बोतलों में बेचे जाने वाले तत्काल परोसे जा एकने वाले फलों के पेयों, मक्खन तथा उसी प्रकार की वस्तुओं को, उनके पैकेजों पर खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा करने से दी गई छूट को हाल में वापस ले लिया गया है। नियमों में ये संशोधन जल्दी ही प्रभावी हो जाएंगे ।

(घ) जनता, व्यापार तथा उद्योग को विभिन्न जन माध्यमों के जरिए बाट तथा माप कानूनों/नियमों के महत्वपूर्ण उपबंधों के बारे में शिक्षित किया जाता है। प्रवर्तन अधिकारियों के लिए मापन प्रणाली के विभिन्न

पहलुओं के बारे में समय-समय पर प्रशिक्षण तथा पुर्नचर्चा पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के लिए विशेष सहायता राशि का आवंटन किए जाने हेतु प्रस्ताव

2159. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सहायता राशि आवंटित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (घ) वार्षिक योजना 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के ओमती नाला और मोती नाला में जल निकास में संकुलन की समस्या को हल करने हेतु 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को स्वीकृति दी गई है।

Productivity of Super Bazar

2160. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the estimated productivity of the Super Bazar during the last three years;

(b) the reasons for low productivity;

(c) the number of hours per day Super Bazar was expected to work and the number of actual hours per day it worked during the last three years;

(d) the measures taken/proposed to be taken for the utilisation of optimal productivity; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (SHRI VENOD SHARMA): (a) It has been reported by the Super Bazar that their productivity can be measured in terms of Sales turnover. The Sales turnover for the past three years has been as follows:—

Years	Sales (Rs. in crores)
1992-93	103.03
1993-94	115.20
1994-95	130.15

(b) The productivity of Super Bazar cannot be considered to be low as Super Bazar has been earning profits.

(c) It has been reported by the Super Bazar that it functions from 10 A.M. to 7 P.M. with one hour lunch break i.e. eight hours a day. Selected Medical outlests, however, functions 24 hours.

(d) To avail optimum productivity of the staff, no fresh recruitments are being made.

(e) Does not arise.

Winding up of spices Trading Carporation Limited

2161. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to wind up the spices Trading Corporation Ltd;